सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

स्रोत– 'द हिन्दू' || '27 जुलाई, 2018'

IAS PCS

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

एक नजर में ...

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक आरटीआई याचिका के जवाब में इस बात की पुष्टि की है कि वह सूचना के अधिकार कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

लेकिन, सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने प्रस्तावित संशोधन बिल का ब्योरा देने से इन्कार कर दिया है।

अब देश में इसकी कड़ी निंदा की जा रही है क्योंकि यह संशोधन इस अधिनियम की प्रभावशीलता को खत्म कर देगी।

क्या है?

यह भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है।

इसके प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है जो उसे 30 दिन के अंदर मिल जानी चाहिये।

सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।

यह जम्मू और कश्मीर (यहाँ जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है।

सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय इसके अंतर्गत शामिल हैं।

क्या बदलाव चाहती है सरकार?

इस विधेयक के जरिए सरकार सिर्फ यह चाहती है कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्तों (आईसी) की सेवा शर्तों को बदल दिया जाए।

मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन-भत्ते और सेवा शर्तें तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास हो।

सूचना अधिकारी का कार्यकाल पूर्व निर्धारित पांच साल होने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा तय हो।

आरटीआई एक्ट, 2005 में राज्यों की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि राज्य सरकार को ये अधिकार होगा कि वे अपने मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करें, लेकिन संशोधन विधेयक, 2018 उनको ये अधिकार नहीं देता है।

धारा 24?

इसमें कहा गया है कि इसके प्रावधान खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होंगे।

ध्यातव्य है कि खुफिया और सुरक्षा संगठनों के अंतर्गत खुफिया विभाग **(Intelligence Bureau-IB)**, अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग और प्रवर्तन निदेशालय को भी शामिल किया गया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कांग्रेस सरकार द्वारा इस सूची में शामिल किया गया था।

इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 24 के तहत इन संगठनों को प्राप्त छूट में भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के आरोपों से संबंधित सूचनाओं को शामिल नहीं किया गया है।

GS WORLD